उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 | अंक 15 | 1-15 अगस्त 2024 | ₹ 20/-

वक्फ संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के हवाले

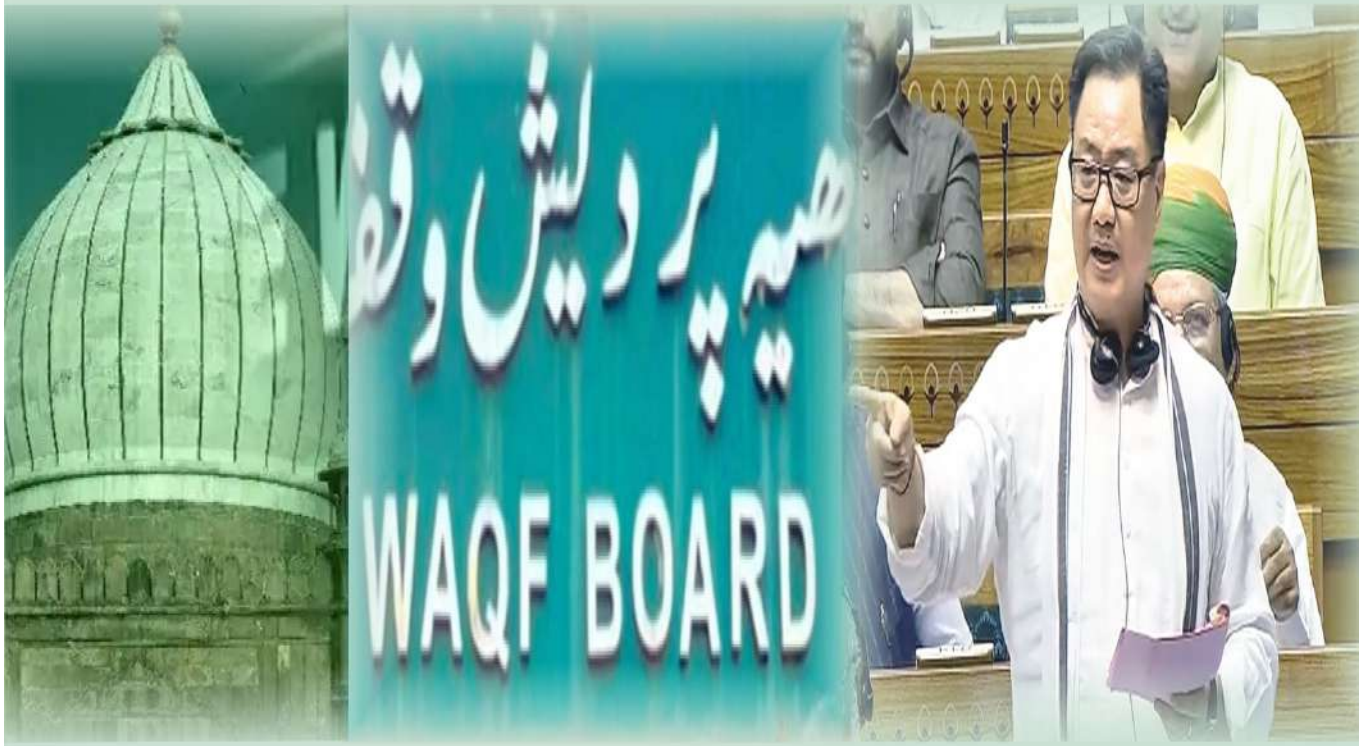

- हिजाब पर पाबंदी से सर्वोच्च न्यायालय का इंकार
- बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की स्थापना
- याह्या सिनवार हमास का नया प्रमुख नियुक्त
- ब्रिटेन में मुसलमानों के खिलाफ देशव्यापी दंगे

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

वक्फ संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के हवाले 04
हिजाब पर पाबंदी से सर्वोच्च न्यायालय का इंकार 08
2025 के लिए हाजियों के पंजीकरण की शुरुआत 11
औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने पर सर्वोच्च न्यायालय की मुहर 13
सलमान खुर्शीद इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अध्यक्ष निर्वाचित 15

विश्व

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की स्थापना 17
म्यांमार की सेना द्वारा 200 से अधिक रोहिंग्याओं की हत्या 20
ब्रिटेन में मुसलमानों के खिलाफ देशव्यापी दंगे 21
मालदीव के साथ भारत के संबंधों में सुधार 22
पाकिस्तान में आतंकवादी हमले 23

पश्चिम एशिया

अमेरिका द्वारा इजरायल को 20 अरब डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी 25
याह्या सिनवार हमास का नया प्रमुख नियुक्त 26
सोमालिया में इस्लामी आतंकवादियों का हमला 28
ईरान में रूसी सैनिकों का प्रशिक्षण 29
ईरान के शीर्ष नेतृत्व में मतभेद 30

सारांश

इस समय वक्फ बोर्ड के पास लगभग नौ लाख एकड़ से अधिक भूमि और लाखों अचल संपत्तियां हैं। मुसलमानों की यह शिकायत रही है कि समृद्ध मुसलमानों द्वारा दान में दी गई संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए नहीं होता है। वक्फ संपत्तियां माफियाओं के चंगुल में हैं और उनसे होने वाली आमदनी का एक बड़ा हिस्सा कुछ खास लोगों की जेब में चला जाता है। 2014 में एक सरकारी कमेटी ने इन अचल वक्फ संपत्तियों के मूल्य का अनुमान 12 लाख करोड़ रुपये लगाया था। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि देश के लगभग सभी राज्यों में वक्फ संपत्तियों का सही रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अधिकांश वक्फ संपत्तियों पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। वक्फ बोर्डों के भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से इन वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड गायब कर दिया जाता है ताकि जिन लोगों ने इन पर अवैध कब्जे कर रखे हैं उन्हें इन संपत्तियों से बेदखल न किया जा सके। देश की राजधानी दिल्ली में वक्फ की भूमि पर अनेक सरकारी कार्यालय और आलीशान होटल अवैध रूप से बनाए गए हैं। सबसे दुखद बात यह है कि मुस्लिम समाज के कथित ठेकेदारों को मोदी सरकार द्वारा मुसलमानों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों में मुस्लिम दुश्मनी नजर आती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों को पारदर्शी बनाने के लक्ष्य से एक विधेयक संसद में पेश किया था, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के कारण उसे संयुक्त संसदीय समिति के हवाले कर दिया गया है।

भारत सरकार ने अगले वर्ष के लिए नई हज नीति की घोषणा कर दी है। इस नीति के तहत हज कमेटी के कोटे से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही हज यात्रा कर सकता है। इसके साथ ही सरकार ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के कोटे को 80 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत कर दिया है। जबकि निजी टूर ऑपरेटरों के कोटे को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि सरकार का यह प्रयास है कि हज यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान की जाए और हज के दौरान होने वाले खर्च को कम किया जाए।

पिछले एक साल से मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का रूख चीन के समर्थन में और भारत के विरोध में था। उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव 'इंडिया आउट' अभियान के तहत लड़ा था। मुइज्जू ने राष्ट्रपति बनते ही भारत के साथ मालदीव के कुछ पुराने समझौतों को भी रद्द करने की घोषणा की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति मुइज्जू का अब चीन से मोहभंग हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में मोहम्मद मुइज्जू ने भी भाग लिया था। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर मालदीव के तीन दिवसीय दौरे पर गए थे। उन्होंने वहां पर भारत के सहयोग से लगभग एक दर्जन विकास परियोजनाओं को शुरू करने की भी घोषणा की। कहा जाता है कि मालदीव के भारत विरोधी रूख को देखते हुए भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का जो बहिष्कार करने का सिलसिला शुरू किया था उसके कारण भी मुइज्जू को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना पड़ा है।

बांग्लादेश की समस्या दिन-प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। वहां पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। विश्लेषकों का अनुमान है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलटने के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अमेरिका का हाथ है। शेख हसीना ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बांग्लादेश के एक द्वीप सेंट मार्टिन को सैन्य अड्डा बनाने हेतु अमेरिका के हवाले करने से इंकार कर दिया था, इसलिए उनके खिलाफ जनाक्रोश पैदा करके उनका तख्ता पलट दिया गया।

वक्फ संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के हवाले

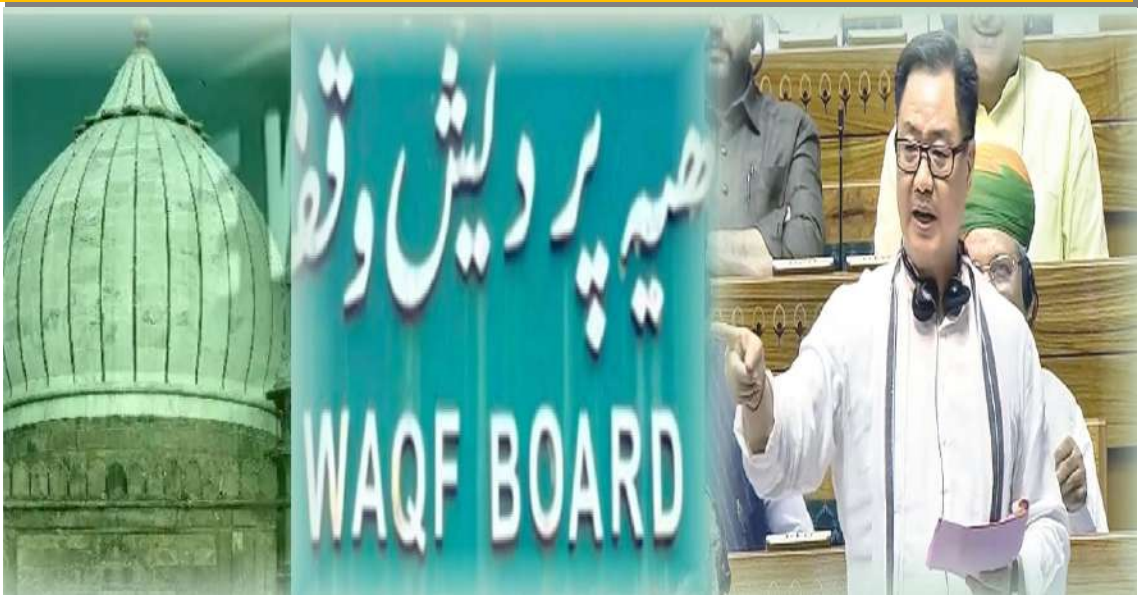

लोकसभा में 8 अगस्त को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया गया था। विपक्षी सदस्यों ने जब इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया तो इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के हवाले कर दिया गया।

सहाफत (14 अगस्त) के अनुसार जब वक्फ (संशोधन) विधेयक सदन में पेश किया गया तो इस पर काफी हंगामा हुआ। इसके बाद सरकार ने इस विधेयक पर चर्चा हेतु इसे जेपीसी के हवाले कर दिया। भाजपा के सांसद जगदंबिका पाल इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इस समिति में कुल 31 सदस्यों को मनोनीत किया गया है, जिसमें 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सांसद है। यह कमेटी संसद के अगले अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

रोजनामा सहारा (5 अगस्त) के अनुसार केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में भारी संशोधन करने का फैसला किया था। समाचारपत्र के अनुसार केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में 40 से अधिक संशोधन किए थे। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार किसी भी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसकी जांच करवानी जरूरी होगी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय वक्फ बोर्ड और राज्यों के वक्फ बोर्डों के गठन में भी संशोधन किया गया है। अब इसके सदस्य किसी भी संप्रदाय से संबंधित लोग बन सकेंगे। वक्फ कानून की धारा 9 और 14 में भी संशोधन किया गया है, जिससे अब केंद्रीय वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्ड के प्रारूप में भी परिवर्तन किया जा सकता है। इस विधेयक के अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड की स्वामित्व वाली विवादित भूमि की नए सिरे से पुष्टि की जाएगी। जिलाधिकारियों को भी वक्फ संपत्ति की निगरानी में शामिल किया गया है।

समाचारपत्र का कहना है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने के वर्तमान अधिकारों पर लगाम लगाना चाहती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार वक्फ बोर्डों के पास आठ लाख 90 हजार संपत्तियां और 9 लाख 40 हजार एकड़ भूमि है। 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वक्फ

कानून में संशोधन करके वक्फ बोर्डों के अधिकारों में बढ़ोतरी की थी। वर्तमान विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्ड के किसी भी निर्णय के खिलाफ अदालत में अपील की जा सकती है, लेकिन ऐसी अपीलों पर फैसला देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नए विधेयक के संबंध में इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने एक गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था। जबकि इस गांव की पूरी आबादी हिंदुओं की है। वक्फ बोर्ड देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे अधिक भूमि का मालिक है। नए विधेयक के तहत वक्फ बोर्ड में महिलाओं सहित सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार मुस्लिम चिंतक, मुस्लिम महिलाएं, शिया और बोहरा संप्रदाय के लोग वर्तमान वक्फ कानून में संशोधन करने की मांग करते रहे हैं।

बता दें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 2, 32, 547 वक्फ संपत्तियां हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में 80, 480, पंजाब में 75, 965, तमिलनाडु में 66, 092, कर्नाटक में 62, 830, केरल में 53, 282, और तेलंगाना में 45, 682 वक्फ संपत्तियां हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात में 39, 940, महाराष्ट्र में 36, 701, मध्य प्रदेश में 33, 472, जम्मू-कश्मीर में 32, 533, राजस्थान में 30, 895, हरियाणा में 23, 267, आंध्र प्रदेश में 14, 685 और उड़ीसा में 10, 314 वक्फ संपत्तियां हैं।

2014 में एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया था कि देश के 35 वक्फ बोर्डों के पास छह लाख एकड़ से अधिक भूमि है, जिनका मूल्य उस समय 12 लाख करोड़ लगाया गया था। 2008 में यूपीए सरकार ने वक्फ संपत्तियों का पता लगाने के लिए 'वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम' नामक पोर्टल तैयार किया था। इस पोर्टल के अनुसार उस समय देश में 8,66000 वक्फ संपत्तियां थीं। इनमें से एक चौथाई वक्फ संपत्तियां उत्तर प्रदेश में मौजूद थीं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 60 प्रतिशत से अधिक वक्फ संपत्तियां विवादित हैं। सिर्फ 39 प्रतिशत संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है। इसके अतिरिक्त नौ प्रतिशत वक्फ संपत्तियों पर लोगों ने अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर रखा है या उनके बारे में अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। जुलाई 2024 तक 32 हजार से अधिक वक्फ संपत्तियों का विवाद अदालतों में विचाराधीन हैं। मुसलमानों को यह शिकायत रही है कि वक्फ संपत्तियों का रख रखाव उचित ढंग से नहीं होता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2 लाख 17 हजार वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन मुतवल्लियों (प्रबंधकों) के जिम्मे है। जबकि एक लाख 27 हजार 726 संपतियों के प्रबंधन का जिम्मा प्रबंधक समितियों के हाथ में है। वहीं, 95 हजार संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड के जिम्मे है। इसके अतिरिक्त 14 हजार संपत्तियों का प्रबंधन का जिम्मा प्रशासकों के हाथ में है।

इंकलाब (5 अगस्त) ने कहा है कि मोदी सरकार वक्फ कानून में संशोधन करके वक्फ बोर्ड के अधिकारों का हनन करना चाहती है। अगर यह विधेयक पास हो गया तो इससे वक्फ संपत्ति तहस-नहस हो जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वह वर्तमान वक्फ कानून में किसी भी ऐसे परिवर्तन का विरोध करेगा, जिससे सरकार के लिए वक्फ संपत्तियों को हड़पना आसान हो जाए। इसी तरह से वक्फ बोर्डों के अधिकारों को सीमित करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि वक्फ संपत्ति किसी भी सरकार ने मुसलमानों को नहीं दी है। यह मुसलमानों की अपनी संपत्ति है, जिसे मुस्लिम बुजुर्गों ने धार्मिक कामों के लिए दान में दिया था।

इंकलाब (6 अगस्त) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि हम वक्फ संपतियों की तबाही को देखते नहीं

रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा नेक नहीं है और हम किसी भी ऐसे सरकारी संशोधन को स्वीकार नहीं करेंगे, जिससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर वक्फ बोर्डों के अधिकारों में कटौती कर रही है। जबसे मोदी सरकार सत्ता में आई है वह मुसलमानों में विभाजन और भय पैदा करने के लिए ऐसे कानून ला रही है, जिससे शरई मामलों में हस्तक्षेप होता है। हालांकि, सरकार यह भलीभांति जानती है कि मुसलमान हर नुकसान को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अपनी शरिया में किसी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे।

अल्पसंख्यक मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधन विधेयक के बारे में कहा है कि वक्फ कानून में संशोधन का उद्देश्य वक्फ पर अतिक्रमण, कुप्रबंधन और अवैध कब्जों को रोकना है। मंत्रालय ने कहा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों पर न्यायालय की कोई निगरानी नहीं है। इससे अनेक तरह की जटिलताएं पैदा होती हैं। सरकार ने इस संदर्भ में भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा अदालत में दायर जनहित याचिका का भी हवाला दिया है। इस याचिका में कहा गया है कि इस्लामी देशों जैसे तुर्किये, मिस्र और जॉर्डन आदि में वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाएं मौजूद नहीं हैं। नए विधेयक के अनुसार वक्फ संपत्ति को सुचारू ढंग से चलाने के लिए वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम विशेषज्ञों को भी शामिल करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त सह सचिव दर्जे के अधिकारियों को भी वक्फ बोर्डों में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई मुतवल्ली वक्फ संपत्ति का सही ढंग से प्रबंधन नहीं करता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है और कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में ले जाने की भी व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में शिया संप्रदाय को भी उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है। सरकार यह चाहती है कि वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल गरीबों और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए किया जाए।

सहाफत (10 अगस्त) के अनुसार मजलिस-ए-उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने कहा है कि सरकार देश को पुनर्विभाजन की ओर धकेलना चाहती है। उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से अपील की है कि वे सरकार पर दबाव डालें ताकि वह वक्फ को तबाह करने वाले इस विधेयक को वापस ले ले।

हमारा समाज (10 अगस्त) के अनुसार दिल्ली हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मुख्तार अहमद ने आरोप लगाया है कि सरकार वक्फ कानून में संशोधन करके संविधान में मुसलमानों को दिए गए अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इसे फौरन वापस लिया जाए। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉ. मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने भी सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की है।

दूसरी ओर, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख मौलाना उमर अहमद इलियासी ने सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए

वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है और कहा है कि वक्फ संपत्ति में जो लूटपाट चल रही है उसे रोकने के लिए इस तरह के कानून का होना बेहद जरूरी है। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य आतिफ रशीद ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है और इसे भारतीय मुसलमानों के हित में बताया है।

हमारा समाज (8 अगस्त) के अनुसार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने यह घोषणा की है कि वह इस प्रस्तावित विधेयक का सदन में और सदन से बाहर विरोध करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत के अध्यक्ष डॉ. जफरुल इस्लाम खान ने कहा है कि वक्फ कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक को सदन में पेश करने से पहले सरकार ने किसी भी मुस्लिम नेता से सलाह-मशवरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम यह कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि इस्लामी वक्फ संपत्ति को गैर-मुस्लिम प्रशासक चलाएं। सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक के पारित होने के बाद देश में कलेक्टर राज वजूद में आएगा, जो यह फैसला करेगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ है और कौन सी नहीं?

हिंदुस्तान (7 अगस्त) के अनुसार मिल्ली काउंसिल ने आरोप लगाया है कि हिंदूवादी केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों को हड़पना चाहती है। इसी लक्ष्य से यह विधेयक संसद में पेश किया गया है।

सियासत (11 अगस्त) के अनुसार पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद अयूब ने कहा है कि सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद राज्य सरकारों को वक्फ बोर्ड में एक गैर-मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। इस विधेयक में जिलाधिकारी को मनमाने अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकारी सरकार के निर्देश पर चलते हैं, इसलिए इन पर मुसलमानों को विश्वास नहीं है।

मुंबई उर्दू न्यूज (10 अगस्त) ने जनता दल (यूनाइटेड) पर मुसलमानों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। समाचारपत्र ने हैरानी प्रकट की है कि जनता दल (यू) ने लोकसभा में इस विधेयक का समर्थन किया है। इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों से मुलाकात करके उन्हें एक ज्ञापन देने का फैसला किया है, जिसमें इस विधेयक का विरोध किया गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (9 अगस्त) ने कहा है कि विपक्ष ने संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक का जोरदार विरोध किया था, इसलिए सरकार ने इस मामले को टालने के लिए इस विधेयक को जेपीसी के पास भेज दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने इसे इस्लाम में हस्तक्षेप बताया है तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इससे मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी जगजाहिर हो गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार गरीब मुसलमानों के हितों के संरक्षण के लिए इस विधेयक को ला रही है। उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इन वक्फ संपत्तियों से हर वर्ष 12 हजार करोड़ रुपये की कमाई की जा सकती है। अब यह पूरी धनराशि कुछ लोगों की जेब में चली जाती है, जिससे आम मुसलमानों को कोई लाभ

नहीं होता है। उन्होंने कहा कि यह कानून शियाओं, सुन्नियों, अहमदियों, देवबंदियों, बरेलवियों और महिलाओं के हितों को देखते हुए लाया गया है। जमात-ए-इस्लामी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य मुस्लिम वक्फ को हड़पकर उसे कॉर्पोरेट जगत के हवाले करना है।

सियासत (12 अगस्त) ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों को छीनना चाहती है ताकि इन संपत्तियों का उपयोग मुसलमानों के कल्याण के लिए न किया जा सके।

उर्दू टाइम्स (9 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि विपक्ष की एकजुटता के कारण मोदी सरकार को इस मुस्लिम विरोधी विधेयक को संसद से पारित करवाने की हिम्मत नहीं हुई। इस विधेयक को जेपीसी के हवाले कर दिया गया है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपा है। मुसलमानों को यह आशा थी कि वे मोदी सरकार की इस मुस्लिम विरोधी नीति का विरोध करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना मुंह खोलना भी मुनासिब नहीं समझा। इसका खामियाजा उन्हें उनके राज्यों में होने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा।

उर्दू टाइम्स (10 अगस्त) का कहना है कि सरकार की यह साजिश है कि मुसलमानों के कल्याण के लिए धर्मार्थ में दी गई संपत्तियों को छीनकर गैर-मुसलमानों के हवाले किया जाए। समाचारपत्र ने इसे मुसलमानों के खिलाफ संघ परिवार की एक साजिश बताया है।

हिंदुस्तान (6 अगस्त) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि सांप्रदायिक मोदी सरकार खरबों रुपये की वक्फ संपत्तियों को हड़पना चाहती हैं। हालांकि, ये संपत्तियां सरकार की मेहरबानी से मुसलमानों को नहीं मिली है, बल्कि समृद्ध मुसलमानों ने इसे अपने समाज के कल्याण के लिए दिया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (11 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि विपक्ष के विरोध के कारण मोदी सरकार को संसद में मुंह की खानी पड़ी है और वह इस मुस्लिम विरोधी विधेयक को सदन से पास नहीं करवा पाई है।

अखबार-ए-मशरिक (9 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सरकार नया वक्फ कानून मुसलमानों की संपत्तियों को हड़पने और उसे गैर-मुसलमानों के हवाले करने के लिए ला रही है।

हिजाब पर पाबंदी से सर्वोच्च न्यायालय का इंकार

मुंबई उर्दू न्यूज (10 अगस्त) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज प्रशासन द्वारा जारी एक परिपत्र पर रोक लगा दी है। इस परिपत्र में कॉलेज परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, टोपी या इस तरह के अन्य लिबास पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अदालत की खंडपीठ ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के इतने सालों के बाद

भी इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। शायद कुछ समय के बाद कॉलेज प्रशासन को स्वयं यह एहसास हो जाएगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने कॉलेज की ओर से अदालत में पेश वकील से कहा कि कॉलेज प्रशासन को कोई ऐसा नियम नहीं बनाना चाहिए था, जिससे किसी विशेष मजहब का संकेत मिलता हो।

सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया कि कॉलेज में 441 मुस्लिम लड़कियां हैं। जब कोई लड़की नकाब पहनकर कॉलेज आती है तो इससे कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। कॉलेज की वकील माधवी दीवान ने कहा कि कॉलेज पहले ही छात्राओं के लिए लॉकर और चेंजिंग रूम उपलब्ध करवा चुका है। वकील ने कहा कि छात्राएं केवल हिजाब पर नहीं, बल्कि नकाब पहनने पर भी जोर देती हैं। इस पर खंडपीठ ने कहा कि क्या यह फैसला लड़कियों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि वे क्या पहनना चाहती हैं? इस पर वकील ने कहा कि ऐसे में कुछ छात्राएं भगवे शॉल ओढ़कर भी कॉलेज आ सकती हैं। कॉलेज यह नहीं चाहता कि उनकी संस्था राजनीति का मैदान बने। कॉलेज के निर्देश पर टिप्पणी करते हुए खंडपीठ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के इतने सालों बाद भी आप इस तरह के निर्देश दे रहे हैं। दीवान ने कहा कि चेहरे को ढंकने के बाद नकाब पहनने की इजाजत कैसे दी जा सकती? इससे बातचीत में रूकावट आती है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में 441 मुस्लिम लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं और यह समस्या सिर्फ तीन लड़कियों को है। इस पर खंडपीठ ने 18 नवंबर तक कॉलेज के परिपत्र को लागू करने पर रोक लगा दिया। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि स्थगन आदेश का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है तो कॉलेज प्रशासन निर्देश में संशोधन के लिए अपील कर सकता है।

गौरतलब है कि मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज प्रशासन ने अपने छात्राओं के लिए एक ड्रेस कोड तय किया था, जिसके तहत कॉलेज परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टॉल, टोपी आदि पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस ड्रेस कोड को नौ छात्राओं ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कॉलेज परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध के फैसले को यथावत रखा था। इसके बाद कॉलेज की छात्राओं ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। छात्राओं ने यह तर्क दिया था

कि कॉलेज के प्रबंधकों द्वारा लागू किया गया ड्रेस कोड मनमाना और असंवैधानिक है। कॉलेज के इस निर्देश से संविधान की धारा 19ए के तहत लिबास के चुनाव का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। **अवधनामा** (10 अगस्त) में यह दावा किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हिजाब के मामले पर एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मुंबई की छात्राओं को बड़ी राहत दी है। मुंबई के एक कॉलेज ने कॉलेज परिसर में हिजाब, स्टॉल और टोपी पहनने पर जो प्रतिबंध लगाया था उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि, बुर्का पर लगे प्रतिबंध को जारी रखने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। समाचारपत्र के अनुसार अदालत ने कॉलेज की वकील से कई चुभते हुए प्रश्न पूछे और कहा कि आजादी के इतने सालों बाद अचानक यह परिपत्र जारी करने का निर्णय क्यों किया गया? इस पर वकील ने कहा कि इस कॉलेज की स्थापना 2008 में हुई थी। इसके बाद अदालत ने वकील से पूछा कि कॉलेज के प्रबंधकों ने यह प्रतिबंध क्यों लगाया? इस पर वकील ने कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है ताकि छात्र-छात्राओं के धर्म के बारे में किसी को पता न चले। अदालत ने कहा कि किसी छात्र या छात्रा के धर्म का पता तो उसके नाम से ही चल जाता है, इसलिए इस तरह के नियम बनाने का क्या आधार है? न्यायमूर्ति संजय कुमार ने कहा कि आप यह कैसे तय कर सकते हैं कि छात्राओं को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? छात्राओं को अपने पसंद का लिबास पहनने की छूट होनी चाहिए।

हिंदुस्तान (13 अगस्त) ने अपने संपादकीय में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि पिछले कुछ दशकों से सांप्रदायिक ताकतें भारतीय मुसलमानों के धार्मिक और शरई मामलों में हस्तक्षेप और छेड़छाड़ कर रही हैं। पिछले एक दशक से मुस्लिम दुश्मन ताकतें कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गई हैं। संवेदनशील मामलों पर कभी केंद्र और राज्य सरकारें विवादित फैसले करके मुसलमानों के लिए परेशानी पैदा कर देती हैं तो कभी कट्टरपंथी हिंदू संगठन मुसलमानों की अलग धार्मिक पहचान को मिटाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। शर्मनाक बात यह है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में खान-पान, लिबास, दाढ़ी और टोपी तक सांप्रदायिक तत्वों के निशाने पर हैं। दाढ़ी, टोपी, बुर्का या हिजाब के बारे में शरिया में स्पष्ट निर्देश है, जिस पर अमल करना हर मुसलमान का कर्तव्य है। भारत का सेक्युलर संविधान हर नागरिक को अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार आचरण करने और मनमाना जीवन गुजारने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त संविधान में मुसलमानों को अपने दीन और मजहब के प्रचार-प्रसार की अनुमति दी गई है। किसी भी संगठन या सरकार को किसी भी व्यक्ति के धर्म में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद मुसलमानों के लिए जीना दूभर किया जा रहा है। ऐसे ही एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक ताकतों के मुंह पर तमाचा मारा है। मुंबई स्थित एक कॉलेज के मुस्लिम दुश्मन प्रबंधकों ने कॉलेज परिसर में हिजाब, स्टॉल, टोपी

आदि पहनने पर जो प्रतिबंध लगाया था उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी है। गौरतलब है कि 2022 में कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। यह मामला अभी विचाराधीन है।

अखबार-ए-मशरिक (11 अगस्त) ने यह आरोप लगाया है कि पिछले एक दशक से कुछ तत्व इस देश में मुसलमानों और इस्लाम को मिटाने का सुनियोजित अभियान चला रहे हैं। ऐसे तत्वों और सरकार की ओर से मुसलमानों के धार्मिक और शरई मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है ताकि उनकी अलग पहचान को मिटाया जा सके। मुंबई के कॉलेज प्रबंधकों ने हिजाब, बुर्का आदि पर प्रतिबंध लगाने का जो परिपत्र जारी किया था वह भी इसी संकुचित और संविधान विरोधी विचारधारा का ही संकेत था। समाचारपत्र ने कहा है कि हिजाब और बुर्का इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि इस्लाम महिलाओं की शर्मो हया और नैतिकता को हर कीमत पर बरकरार रखना चाहता है।

मुंबई उर्दू न्यूज और **उर्दू टाइम्स** (14 अगस्त) ने भी अपने संपादकीय में सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसकी धार ऐसे फैसलों से कुंद होगी। समाचारपत्रों का कहना है कि कुछ निचली अदालतों के फैसलों पर भी सांप्रदायिक विचारधारा का प्रभाव नजर आता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी तक सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में निष्पक्ष और न्यायकारी रहा है। ■

2025 के लिए हाजियों के पंजीकरण की शुरुआत

भारत सरकार ने 2025 के लिए नई हज नीति की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही हज करने के इच्छुक लोगों के लिए पंजीकरण का सिलसिला भी शुरू हो गया है।

सहाफत (15 अगस्त) के अनुसार केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि हज यात्रा करने के इच्छुक व्यक्ति 13 अगस्त से 9 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इस संबंध में 'हज सुविधा ऐप' और हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण किए जा सकते हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत सरकार के अनेक मंत्रालय हज यात्रियों के लिए अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने हेतु संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। यही कारण है कि 2024 का हज समाप्त होते ही हमने अगले साल के लिए हज यात्रा की तैयारी पूरे जोर-शोर से शुरू कर दी है। हमारा यह प्रयास है कि हज यात्रा को सस्ता, सुरक्षित और आसान बनाया जाए। उन्होंने हज यात्रा एक्शन प्लान जारी किया। इस मौके पर अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा और दिल्ली राज्य हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां भी मौजूद थीं। सरकारी सूत्रों

के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने अगले साल के लिए भारतीय हज यात्रियों का कोटा पौने दो लाख निर्धारित किया है। नई हज नीति में कई संशोधन किए गए हैं। अब आरिक्षत श्रेणी में हज करने के लिए जाने के इच्छुक व्यक्तियों की उम्र 70 साल से घटाकर 65 साल कर दी गई है। इसके साथ ही उनके साथ जाने वाले सहयोगी की उम्र 18-60 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त बिना मेहरम के हज यात्रा पर जाने वाली महिलाओं को अपने सहयोगी के तौर पर 45-60 साल की महिला को साथ ले जाने की छूट दी गई है।

उर्दू टाइम्स (8 अगस्त) के अनुसार कोई भी मुस्लिम व्यक्ति, जो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो वह हज करने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए उसे अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और कोरोना के टीके की दोनों खुराकों का प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा। नई नीति के अनुसार अब 65 साल से ज्यादा उम्र के हज यात्री हज यात्रा पर अकेले नहीं जा सकेंगे। उन्हें अपने साथ किसी रिश्तेदार को अपने सहायक के रूप में ले जाना होगा। अब कोई भी व्यक्ति हज कमेटी ऑफ इंडिया के कोटे से अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही हज यात्रा करने का पात्र होगा। हज यात्रियों के साथ जो सरकारी कर्मचारी सऊदी अरब भेजे जाएंगे उनके पद का नाम खादिम-उल-हुज्जाज से बदल कर स्टेट हज इंस्पेक्टर कर दिया गया है। सरकार की नई नीति के तहत अब कुल हज कोटा का 70 प्रतिशत हिस्सा हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास होगा। जबकि शेष 30 प्रतिशत हिस्सा प्राइवेट टूर ऑपरेटरों को दिया जाएगा। इससे पूर्व हज कमेटी ऑफ इंडिया का कोटा 80 प्रतिशत था। अगले वर्ष हाजियों के लिए विमान लखनऊ, श्रीनगर, गया, गुवाहाटी, इंदौर, भोपाल, औरंगाबाद, जयपुर, नागपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि, चेन्नई, अहमदाबाद और कन्नूर से उड़ान भरेंगे। सरकार का यह प्रयास है कि अपने जीवनकाल में अधिक से अधिक लोग हज यात्रा कर सकें। सरकार ने अभी तक यह घोषणा नहीं की है कि हज यात्रियों से कितना किराया वसूला जाएगा और सऊदी अरब में आवास के लिए उनसे कितनी धनराशि ली जाएगी।

औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने पर सर्वोच्च न्यायालय की मुहर

उर्दू टाइम्स (3 अगस्त) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य के दो नगरों के नाम बदलने की हरी झंडी दे दी है। पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रखने का फैसला किया था। इस सरकारी फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने इस सरकारी फैसले को बॉम्बे उच्च न्यायालय में भी चुनौती दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी नगर का नाम बदलना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और उसे इसके लिए किसी भी अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को कहा कि उच्च न्यायालय में आप अपनी बात विस्तार से रख चुके हैं और हम अब उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इससे पहले आठ मई को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस पर अपनी मुहर लगा दी है।

गौरतलब है कि 29 जून 2022 को अपने मंत्रिमंडल की बैठक में उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाडी सरकार ने इन दोनों नगरों का नाम बदलने का फैसला किया था। फिर 16 जुलाई 2022 को एकनाथ शिंदे की सरकार ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। सरकार के इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि सरकार ने इससे पहले 2001 में औरंगाबाद का नाम बदलने का फैसला किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था और अब उद्धव ठाकरे की सरकार ने यह फैसला राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह फैसला संविधान की सेक्यूलर भावना के विपरीत है और इस फैसले से दो धार्मिक समूहों के बीच तनाव पैदा हो सकता है।

औरंगाबाद टाइम्स (3 अगस्त) के अनुसार औरंगाबाद और उस्मानाबाद के साथ-साथ

आश्चर्यजनक बताया था और यह शिकायत की थी कि उन्हें न्याय नहीं मिला। सामचारपत्र ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जून 2022 में महाविकास आघाडी मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक में इन जिलों के नाम बदलने का फैसला किया था।

गौरतलब है कि राजस्व क्षेत्र का स्थानांतरण महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, 1966 की धारा 4 के तहत होता है, जो राज्य सरकार को किसी भी राजस्व क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करने, राजस्व सीमा को खत्म करने या उसका नाम बदलने की अनुमति देता है। 24 फरवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन दोनों नगरों के नाम बदलने पर अपनी मुहर लगा दी थी, लेकिन महाराष्ट्र राजस्व प्राधिकरण नाम बदलने की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकी थी। बाद में प्राधिकरण ने एक अधिसूचना जारी करके आम लोगों से इस संबंध में आपत्तियां मांगी थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 23 अगस्त 2023 को इन याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि नए नामों की अधिकृत घोषणा नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा इन याचिकाओं को खारिज करने के दो सप्ताह बाद नए नामों की अधिकृत रूप से घोषणा की गई, जिसे दोनों याचिकाकर्ताओं ने फिर से उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

टिप्पणी: स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश के 100 से अधिक नगरों के नाम बदले जा चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा व अवध का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना और इसका नाम उत्तरांचल पड़ा। बाद में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किया गया। 1995 में बंबई का

राजस्व क्षेत्र के नाम बदले जाने को भी बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने यह फैसला राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया है और इससे धार्मिक नफरत का माहौल बनेगा। जनहित याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि महाराष्ट्र के उन सभी नगरों का नाम बदलने का अभियान चलाया जा रहा है, जिनके नाम मुसलमानों से संबंधित हैं। इसका खंडन करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि छत्रपति संभाजी कोई विवादित हस्ती नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक महाराष्ट्रवासी उनका सम्मान करता है। इसके बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

औरंगाबाद टाइम्स ने इसी साल के 9 मई के अंक में कहा था कि दो याचिकाकर्ताओं मुश्ताक अहमद और मोहम्मद हिशाम उस्मानी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की घोषणा की थी। उनका कहना था कि जब शिवसेना सत्ता में थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखने की घोषणा की थी, जिसे हमने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने हमारी याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से हमें न्याय मिला था। एक अन्य याचिककर्ता मोहम्मद हिशाम उस्मानी ने उच्च न्यायालय के फैसले को

नाम बदलकर मुंबई और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया। इसी तरह से बंगलौर का नाम बदलकर बेंगलुरु किया गया। पूना का नाम बदलकर पुणे किया गया। इसी तरह से महाराष्ट्र के अनेक जिलों और स्थानों के नामों को भी बदला गया। जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, वहां पर एक दर्जन से भी अधिक नगरों के नाम बदले जा चुके हैं। इनमें फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा जा चुका है। वहीं, मुगलसराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रखा गया है।

नाम बदलने के अभियान की शुरुआत समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने की थी। उनके आंदोलन के कारण अंग्रेज शासकों के नाम पर रखी गई राजधानी दिल्ली की अनेक सड़कों के नाम बदले गए थे। इसके अतिरिक्त संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के उग्र आंदोलन के दौरान राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए विदेशी शासकों की चार दर्जन से अधिक प्रतिमाओं के साथ तोड़फोड़ की गई थी। इसके बाद प्रशासन ने इन विदेशी शासकों की प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थानों से हटाने का निर्णय लिया था। खास बात यह है कि लोहिया ने किसी भी मुगल या विदेशी मूल के मुस्लिम शासकों के नाम पर रखे गए मार्गों के नाम बदलने का अभियान नहीं चलाया था। बाद में जनसंघ के नेताओं ने विदेशी मूल के सभी शासकों के नामों पर रखे गए मार्गों के नाम बदलने के लिए आंदोलन चलाया था। इसके बाद नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका ने भी विदेशी शासकों के नाम पर रखे गए अनेक मार्गों के नाम बदलने का फैसला किया था। हाल ही में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

सलमान खुर्शीद इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अध्यक्ष निर्वाचित

रोजनामा सहारा (15 अगस्त) के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद भारतीय मुसलमानों के महत्त्वपूर्ण और बहुचर्चित संस्थान इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। समाचारपत्र के अनुसार 20 सालों के बाद इस संस्थान को नया अध्यक्ष मिला है। अध्यक्ष पद के लिए पांच वरिष्ठ लोग चुनावी मैदान में थे। इस केंद्र के निवर्तमान अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी ने स्वयं चुनाव नहीं लड़ा था, क्योंकि उनकी उम्र 75 साल से अधिक हो चुकी है। इस केंद्र के संविधान में संशोधन के लिए उन्होंने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था और यह कहा था कि चुनाव लड़ने की उम्र सीमा को रद्द कर दिया जाए, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल की ओर से विख्यात कैंसर

सर्जन और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. माजिद अहमद तालिकोटी को मैदान में उतारा गया, लेकिन उन्हें बहुत कम वोट मिले।

गौरतलब है कि इस केंद्र के सदस्यों की संख्या 4000 से भी अधिक बताई जाती है, लेकिन इसके लगभग 2000 सदस्यों ने अपनी बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया था, इसलिए उच्च न्यायालय ने उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी। इस बार 2054 सदस्यों को मतदान में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, जिनमें लगभग 200 गैर-मुस्लिम सदस्य भी शामिल थे। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव अधिकारी प्रदीप कुमार की ओर से जारी पत्र के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए सलमान खुर्शीद को कुल 721 वोट मिले। जबकि उपाध्यक्ष पद पर अलीगढ़ के पूर्व महापौर मोहम्मद फुरकान ने जीत दर्ज की। उन्हें 396 वोट मिले। इस केंद्र के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में सिराजुद्दीन कुरैशी, दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक एसएम खान, पूर्व आईपीएस अधिकारी सैयद कमर अहमद, पूर्व आईएएस अधिकारी ख्वाजा मोहम्मद शाहिद, अबुजर हुसैन खान, श्रीमती फारुख नाज और सिकंदर हयात चुने गए हैं।

इंकलाब (15 अगस्त) के अनुसार इस चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के पांच पैनल थे। इनमें से किसी भी पैनल को बहुमत नहीं मिला, लेकिन सलमान खुर्शीद पैनल का इस चुनाव में वर्चस्व रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1984 में इस केंद्र का शिलान्यास किया था। इसके लिए सरकार से भूमि खरीदी गई थी। इस केंद्र का भवन इंडो-इस्लामिक वास्तु शास्त्र का मिश्रित स्वरूप है। इस पर ईरानी वास्तु शास्त्र की छाप भी साफ नजर आती है। यह केंद्र नई दिल्ली के लोधी गार्डन क्षेत्र में स्थित है। 2006 में इस केंद्र का उद्घाटन तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने किया था।

आलोचकों का कहना है कि इस केंद्र की सदस्यता प्राप्त करना किसी भी आम मुसलमान के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसका प्रवेश शुल्क ही एक लाख रुपये से शुरू होता है। सिराजुद्दीन कुरैशी 20 सालों तक इस केंद्र के अध्यक्ष रहे हैं। पूर्व सांसद और इस केंद्र के वरिष्ठ सदस्य मोहम्मद अदीब ने यह प्रयास किया था कि चुनाव टल जाए और चारों पैनल की सहमति से एक सर्वसहमति वाला पैनल बन जाए, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। खास बात यह है कि उन्होंने सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल से इस संदर्भ में कोई संपर्क ही नहीं किया था। अदीब ने कहा कि तीन वर्ष के बाद सलमान खुर्शीद 75 साल के हो जाएंगे और इसके बाद पदाधिकारियों का एक बार फिर से चुनाव करवाना पड़ेगा। इस केंद्र के संस्थापक सदस्यों में हमदर्द के अब्दुल हमीद, जमीयत उलेमा के मुफ्ती अतीकुर रहमान, भारतीय विदेश सेवा के निवर्तमान सदस्य बदरुद्दीन फैज तैयबजी और पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी आबिदा अली अहमद आदि शामिल थे।

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की स्थापना

उर्दू टाइम्स (6 अगस्त) के अनुसार भारी जनाक्रोश के कारण बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा है और उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी है।

इंकलाब (16 अगस्त) के अनुसार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने यह फैसला किया है कि शेख हसीना के शासनकाल में सात देशों में जो राजदूत नियुक्त किए गए थे उन्हें वापस बुला लिया जाए। बांग्लादेश सरकार ने अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मालदीव में नियुक्त किए गए राजदूतों को फौरन वापस आने का निर्देश दिया है। दूसरी ओर, बांग्लादेशी छात्रों ने अवामी लीग के समर्थकों को शेख मुजीबुर्रहमान की बरसी मनाने से रोक दिया है। जो लोग शेख मुजीबुर्रहमान के पुराने आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे उन्हें छात्रों ने मार-पीटकर वहां से भगा दिया और मुजीब संग्रहालय के चारों तरफ कांटेदार तारें लगाकर उसे बंद कर दिया गया है।

इंकलाब (14 अगस्त) के अनुसार शेख हसीना और उनके कई अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। जिन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है उनमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान, अवामी लीग के महासचिव ओबैदुल कादर और पांच अन्य उच्चाधिकारी शामिल हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इनके खिलाफ जांच के लिए एक अलग प्रकोष्ठ का गठन किया है।

उर्दू टाइम्स (14 अगस्त) के अनुसार बांग्लादेश के गृह मंत्री के सलाहकार मोहम्मद सखावत हुसैन ने यह कहा है कि बांग्लादेश सरकार भारत सरकार से यह मांग करेगी कि वह हत्या के एक मामले की आरोपी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उसके हवाले करे ताकि उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि भारत सरकार हमारी मांग को गंभीरता से लेगी और हत्या के आरोपी को हमारे हवाले करेगी। उन्होंने कहा कि कई दशक से दोनों देशों के बीच एक संधि है। इस संधि के तहत यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ दोनों देशों में से किसी में भी फौजदारी मुकदमा

दर्ज होता है तो आरोपी को उस देश को सौंप दिया जाता है जिस देश में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ हो। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने बांग्लादेश के मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे भी भारत हर तरफ से परेशानियों से घिरा हुआ है और उसे पहले अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश भारत की सहायता चाहता है, लेकिन वह यह नहीं चाहता कि कोई भी विदेशी उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वह एक व्यक्ति अबू सईद की हत्या से संबंधित है। 19 जुलाई को पुलिस की गोली से अबू सईद की मौत हो गई थी। यह मुकदमा मृतक के रिश्तेदारों ने दर्ज करवाया है। इससे पहले छात्रों ने यह स्पष्ट घोषणा की थी कि वे सेना के शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक 15 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना की गई है। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार अंतरिम सरकार को अगले 90 दिनों के अंदर देश में चुनाव करवाने होंगे। नई सरकार ने संसद को भंग करने की घोषणा की है और देश की प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया गया है।

उर्दू टाइम्स (8 अगस्त) के अनुसार जेल में साढ़े छह साल बंद रहने के बाद रिहा हुई 78 वर्षीय खालिदा जिया ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जनता को संबोधित किया। खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष हैं। वह काफी कमजोर नजर आ रही थीं। जेल से रिहा होने के बाद उन्हें एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पुराना दौर जुल्म और प्रताड़ना का था। अब वह खत्म हो गया है। अब देश को आगे चलते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं किसी से कोई बदला नहीं लूंगी।

एक अन्य समाचार के अनुसार बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ए.एम. अमीन उद्दीन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। वहीं, एक अन्य समाचार के अनुसार बांग्लादेश की सेना में भी भारी परिवर्तन किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नजदीकी मेजर जनरल जियाउल अहसन को उनके पद से हटा दिया गया है और उनके स्थान पर मेजर जनरल रिदवानुर रहमान को नियुक्त किया गया है। जबकि एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सैफुल आलम को विदेश मंत्रालय में नियुक्त किया गया है। वहीं, लेफ्टिनेंट जनरल मुजीबुर रहमान को सेना प्रशिक्षण और डॉक्ट्रिन कमांड में जीओसी बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद तबरेज शम्स चौधरी को क्वार्टर मास्टर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर रहमान शमीम को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नियुक्त किया गया है। जबकि एक अन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल को एनडीसी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है।

रोजनामा सहारा (17 अगस्त) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि बांग्लादेश में हुए प्रदर्शनों के दौरान 600 से अधिक लोग मारे गए हैं। जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं।

उर्दू टाइम्स (11 अगस्त) के अनुसार छात्रों ने बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय का घेराव किया और मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन से त्यागपत्र देने की मांग की। इसके बाद ओबैदुल हसन सहित सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों ने अपने पद से त्यागपत्र देने की घोषणा कर दी।

इंकलाब (14 अगस्त) के अनुसार अंतरिम सरकार ने सैयद रेफात अहमद को बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त चार अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए हैं। नए प्रधानमंत्री मोहम्मद

यूनुस ने अपने कई सलाहकारों को भी नियुक्त करने की घोषणा की है। इनमें फारूक आजम, बिधान रंजन रॉय और सुप्रदीप चकमा का नाम उल्लेखनीय है।

इंकलाब (11 अगस्त) के अनुसार बांग्लादेश केंद्रीय बैंक के गर्वनर अब्दुर रउफ तालुकदार ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उनके साथ चार अन्य उप गवर्नरों ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। छात्र नेता उनके त्यागपत्र की मांग कर रहे थे। इसके अतिरिक्त ढाका विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (8 अगस्त) के अनुसार हिंसक भीड़ ने देशभर में 500 से अधिक पुलिस थानों पर हमले किए और लगभग 100 पुलिस कर्मचारियों की हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हिंसक भीड़ ने इन थानों से हथियार और गोला बारूद भी लूट लिया है। इससे पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है।

मुंबई उर्दू न्यूज (11 अगस्त) के अनुसार उग्र भीड़ ने शेख हसीना समर्थक अवामी लीग के कम-से-कम 29 नेताओं को जीवित जला दिया है। पूरे बांग्लादेश में अवामी लीग के समर्थकों को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है।

सियासत (12 अगस्त) के अनुसार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहली बार यह आरोप लगाया है कि उनकी सरकार का तख्ता पलटने के पीछे अमेरिका का हाथ है। उन्होंने कहा कि एयर बेस स्थापित करने के लिए अमेरिका उनसे सेंट मार्टिन द्वीप की मांग कर रहा था। जब उन्होंने अमेरिका की मांग को ठुकरा दिया तो उसने अन्य कट्टरपंथी ताकतों के साथ साजिश करके मेरी सरकार का तख्ता पलट दिया। अगर वह यह द्वीप अमेरिका को सौंप देतीं तो उन्हें सत्ता से हाथ नहीं धोना पड़ता। उन्होंने दावा किया कि जनहित में उन्होंने अपने पद का बलिदान देने का फैसला किया है। शेख हसीना ने देशवासियों से अपील की है कि वे कट्टरपंथियों के बहकावे में न आएं। उन्होंने यह भी सफाई दी कि उन्होंने किसी भी छात्र को कभी भी रजाकार नहीं कहा। अब साजिशी लोग छात्रों और युवाओं को उनके खिलाफ भड़का रहे हैं और देश को हिंसा व अशांति की ओर धकेल चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इसका बहुत दुख है कि मेरी पार्टी के अनेक नेताओं की हत्या कर दी गई है और उनके घरों को लूट लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने शेख हसीना को अपने देश में शरण देने से इंकार कर दिया है। सेंट मार्टिन द्वीप, जिसका शेख हसीना ने अपने बयान में जिक्र किया है उसका क्षेत्रफल सिर्फ तीन किलोमीटर है और म्यांमार की सीमा से उसकी दूरी सिर्फ पांच मील है। जून 2023 में शेख हसीना ने अपने चुनावी अभियान में यह आरोप लगाया था कि अगर विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में आई तो वह सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका के हवाले कर देगी। गौरतलब है कि इससे पहले मई महीने में शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि कुछ विदेशी शक्तियां बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों

को मिलाकर पूर्वी तिमोर की तरह एक ईसाई देश बनाने की साजिश कर रही हैं।

अवधनामा (13 अगस्त) के अनुसार अमेरिका ने यह खंडन किया है कि शेख हसीना का तख्ता पलटने में उसका हाथ है। व्हाइट हाउस के मीडिया प्रवक्ता ने कहा कि यह आरोप बेबुनियाद है। यह बांग्लादेश की जनता का फैसला है कि वह किसको अपना शासक बनाना चाहते हैं। हम किसी भी विदेशी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की चर्चा करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

एतेमाद (14 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अमेरिका बांग्लादेश की घटनाक्रम में अपने हाथ होने का खंडन कर चुका है। सच्चाई यह है कि शेख हसीना सरकार ने जनाक्रोश को कुचलने के लिए जो तानाशाही तरीके अपनाए उसके कारण स्थिति बिगड़ी। वहां जो संकट पैदा हुआ है वह बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है और उसके लिए पूरी तरह से शेख हसीना जिम्मेवार हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बांग्लादेश के कार्यकारी निदेशक इफ्तेखार जमान ने कहा है कि अवामी लीग ने सभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थानों को तबाह व बर्बाद कर दिया था। शेख हसीना के तानाशाही रवैये के कारण देश में आंदोलन भड़का। इसकी शुरुआत छात्रों ने की। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दलों ने कई बार हसीना पर तानाशाही रवैया अपनाने, चुनावों में धांधली करने, विपक्ष को दबाने और मीडिया को कुचलने के आरोप लगाए थे, लेकिन उन्होंने इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया।

हिंदुस्तान (7 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि बांग्लादेश में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए सिर्फ शेख हसीना जिम्मेवार हैं। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान जनता ने जब अपना आक्रोश प्रकट किया तो उसे सेना के जरिए कुचलने का प्रयास किया गया। ■

म्यांमार की सेना द्वारा 200 से अधिक रोहिंग्याओं की हत्या

सहाफत (12 अगस्त) के अनुसार म्यांमार से भागने वाले रोहिंग्या मुसलमानों पर सेना ने विमानों और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में कम-से-कम 200 से अधिक रोहिंग्या मारे गए। चार प्रत्यक्षदर्शी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जब रोहिंग्या मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश में घुसने का प्रयास कर रहे थे तो उन पर म्यांमार की सेना ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें लगभग 200 लोग मारे गए। राजनयिक सूत्रों के अनुसार म्यांमार के रखाइन क्षेत्र में विद्रोहियों और सेना के बीच पिछले एक महीने से संघर्ष चल रहा है। रखाइन मिलिशिया और म्यांमार की सेना एक दूसरे पर हमले करने का आरोप लगा रहे हैं। इन हमलों में कितने लोग मारे गए हैं इसके अधिकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन जो लोग जान बचाकर बांग्लादेश पहुंचे हैं उनका दावा है कि इन हमलों में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं। इनमें से एक व्यक्ति ने यह दावा किया है कि उसने स्वयं 70 शव गिने थे। बांग्लादेश की मीडिया में प्रकाशित समाचारों के अनुसार रोहिंग्या मुसलमान रखाइन क्षेत्र से चार नावों में बैठकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान वे समुद्र में डूब गए, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।

गौरतलब है कि कई सालों से बौद्ध बहुल देश म्यांमार की सेना ने रखाइन क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार का अभियान छेड़ रखा है। म्यांमार की सरकार उन्हें विदेशी मानती है और उन्हें नागरिकता

देने के लिए तैयार नहीं है। वहां की सेना उनके सफाए का अभियान चला रही है। बताया जाता है कि लगभग 20 लाख रोहिंग्या मुसलमानों ने बांग्लादेश में शरण ले रखी है और वे वहां के शरणार्थी शिविरों में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में रह रहे हैं।

ब्रिटेन में मुसलमानों के खिलाफ देशव्यापी दंगे

रोजनामा सहारा (31 जुलाई) के अनुसार ब्रिटेन के साउथपोर्ट में एक 17 वर्षीय मुस्लिम युवक एक्सल रुदाकुबाना ने पार्क में खेल रहे बच्चों पर चाकू से हमला किया और तीन लड़कियों की हत्या कर दी। इस हमले में नौ अन्य बच्चे भी घायल हो गए, जिनमें से छह बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। क्योंकि इस हमले में एक मुस्लिम किशोर का हाथ पाया गया था, इसलिए देशभर में मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़क उठे और अनेक मस्जिदों पर हमले किए गए। ब्रिटेन की गृह मंत्री यवेटे कूपर ने यह स्वीकार किया है कि हाल के वर्षों में ब्रिटेन में इतने बड़े पैमाने पर कभी दंगे नहीं हुए थे। समाचारपत्र के अनुसार यह घटना उत्तर-पश्चिमी इंग्लैंड की है। लिवरपूल के समीप स्थित साउथपोर्ट कस्बे में इस मुस्लिम किशोर ने एक नृत्य और योग वर्क शॉप पर हमला किया। पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से खून से सने चाकू को बरामद कर लिया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस घटना पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि यह घटना भयानक है। समाचारपत्र के अनुसार हाल के वर्षों में इंग्लैंड और वेल्स में चाकू मारने की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2023 के बाद के पहले छह महीने में चाकू मारने के 14 हजार से अधिक घटनाएं ब्रिटेन के विभिन्न थानों में दर्ज हुए हैं। चुनावी अभियान के दौरान लेबर पार्टी ने यह घोषणा की थी कि इस खतरनाक अभियान को सख्ती से कुचला जाएगा।

इंकलाब (5 अगस्त) के अनुसार इस घटना के बाद राष्ट्रव्यापी जनाक्रोश भड़क उठा। लिवरपूल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर और ब्लैकपूल में मुसलमानों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किए गए। कई मुस्लिम दुकानों को लूटा गया और मस्जिदों पर हमले किए गए। समाचारपत्र ने लिखा है कि

मुसलमानों के खिलाफ इतना जनाक्रोश है कि लोग अब मस्जिद की ओर जाने और महिलाएं बुर्का पहनकर बाजार में चलने से घबराती हैं।

उर्दू टाइम्स (10 अगस्त) के अनुसार लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा है कि ब्रिटेन जैसे देश में अब मुसलमानों के खिलाफ जो भावना उभर रही है उसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा कि मैं एक मुसलमान के नाते ब्रिटेन में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता हूं।

हिंदुस्तान (8 अगस्त) के अुनसार ब्रिटेन के कई मस्जिदों पर हमले किए गए और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। इस मुस्लिम विरोधी अभियान का संचालन अति-दक्षिणपंथी संगठन इंग्लिश डिफेंस लीग द्वारा किया जा रहा है। ब्रिटेन के एक दर्जन से अधिक नगरों में उग्र भीड़ ने मस्जिदों, मुसलमानों के मकानों और दुकानों को अपना निशाना बनाया है।

हिंदुस्तान (9 अगस्त) के अनुसार राष्ट्रव्यापी मुस्लिम विरोधी दंगों को देखते हुए ब्रिटेन की मस्जिदों, मुसलमानों के घरों और दुकानों की सुरक्षा के लिए छह हजार पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को इमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी का अधिवेशन दूसरी बार बुलाना पड़ा है। पुलिस ने देशभर से 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर दंगों की योजना बनाने और उन्हें भड़काने का आरोप है।

अवधनामा (9 अगस्त) में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार ब्रिटेन में भड़के मुस्लिम विरोधी दंगों के पीछे इंग्लिश डिफेंस लीग नामक संगठन का हाथ है। इस संगठन की स्थापना 2009 में हुई थी। यह संगठन इस्लाम और मुसलमानों का विरोधी माना जाता है। इस संगठन के पदाधिकारियों का दावा है कि वे मुस्लिम कट्टरपंथ और शरिया कानूनों के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि यूरोप में इस्लामी खिलाफत को किसी भी कीमत पर अपने पैर जमाने नहीं देंगे। इस संगठन से संबंधित लोगों की संख्या 25-35 हजार बताई जाती है।

मालदीव के साथ भारत के संबंधों में सुधार

मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के सत्ता में आने के बाद भारत के साथ मालदीव के संबंधों में काफी तनाव आ गया था। अब भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के मालदीव दौरे के बाद उसके रूख में काफी परिवर्तन आया है।

रोजनामा सहारा (14 अगस्त) के अनुसार भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के मालदीव के तीन दिवसीय दौरे के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ है। हालांकि, इससे पहले मोहम्मद मुइज्जू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए थे। मालदीव भारत के लिए एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी देश है। वह भारत की 'पड़ोस प्रथम' और 'सागर नीति' के कारण बेहद महत्त्वपूर्ण देश है। मुइज्जू की हमदर्दी चीन के साथ है और यह किसी से छिपी भी नहीं है। उन्होंने अपना चुनाव 'इंडिया आउट' के अभियान पर लड़ा था। मालदीव की यह परंपरा रही है कि वहां के राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेने के तुरंत बाद भारत का दौरा करते हैं, लेकिन इस परंपरा का उल्लंघन करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू नई दिल्ली आने के बजाय सीधे बीजिंग पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने चीन के साथ 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें कुछ सैन्य समझौते भी थे।

इससे पहले मुइज्जू ने मालदीव में दशकों से रह रहे भारतीय तकनीकी सहयोगी दल के 80

सदस्यों को न सिर्फ मालदीव से निष्कासित किया, बल्कि भारत ने जो हेलीकॉप्टर और डोर्नियर विमान मालदीव को उपहार में दिए थे उसे भी उन्होंने भारत को वापस कर दिया था। अब अचानक क्या हुआ कि मुइज्जू को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा और वे प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए? भारतीय पर्यटक मालदीव की अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। जब भारतीय पर्यटकों ने मालदीव के भारत विरोधी रूख को देखते हुए उसका बहिष्कार करना शुरू किया तो मालदीव को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। अब इसकी भरपाई के लिए मोहम्मद मुइज्जू को भारतीय पर्यटकों को मालदीव की ओर आकर्षित करने हेतु विशेष अभियान शुरू करना पड़ा है।

रोजनामा सहारा (11 अगस्त) के अनुसार भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के अतिरिक्त रक्षा मंत्री घासन मौमून, व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद और वित्त मंत्री मोहम्मद शफीक से विभिन्न मुद्दों पर लंबी बातचीत की। इसके बाद उन्होंने मालदीव में भारत की सहायता से शुरू किए जा रहे छह उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) का भी उद्घाटन किया। इससे पहले जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर के साथ एक पार्क में पौधा भी लगाया। सरकारी सूत्रों के अनुसार मालदीव के राष्ट्रपति अगले महीने भारत का दौरा कर सकते हैं। आशा है कि मालदीव और भारत के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। ■

पाकिस्तान में आतंकवादी हमले

तासीर (14 अगस्त) के अनुसार पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले देश के अनेक भागों में आतंकवादी हमले हुए हैं। इन हमलों में कम-से-कम नौ लोग मारे गए हैं। पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' के अनुसार 13 अगस्त को तीन स्थानों पर आतंकवादियों ने नागरिकों और सैनिकों को अपना निशाना बनाया। एक हमला बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में हुआ। बताया जाता है कि एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ अज्ञात आतंकवादी आए और उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर हैंड ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में आठ पुलिसकर्मी मौके पर मारे गए। उसी दिन क्वेटा विश्वविद्यालय के छात्राओं को ले जा रहे एक वाहन पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें वाहन चालक सहित तीन छात्राओं की मौत हो गई। एक अन्य हमले में बलूचिस्तान के क्वेटा-कराची राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंजगुर के

उपायुक्त जाकिर हुसैन बलूच के वाहन पर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें जाकिर बलूच सहित छह पाकिस्तानी अधिकारी मारे गए।

हिंदुस्तान (14 अगस्त) के अनुसार तोरखम चौकी पर अफगानिस्तान की सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच मुठभेड़ हुई। अफगान सरकार ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने अफगान सीमा का अतिक्रमण किया था। इस पर दोनों ओर से फायरिंग हुई। इसके बाद अफगानिस्तान सरकार ने तोरखम सीमा को बंद कर दिया है। अफगानिस्तान सरकार के गृहमंत्रालय का दावा है कि इस हमले में चार अफगान महिलाएं और दो बच्चे मारे गए हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी वायुसेना के जहाज सीमा का निरंतर उल्लंघन कर रहे हैं। इस संबंध में पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया गया है। उन्होंने कहा है कि अब बर्दाश्त करने की हद हो गई है। अब हमें मजबूरन इस वायु अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस्लामी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने उत्तरी वजीरिस्तान के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने पाकिस्तानी गांवों में अपने मोर्चे बना लिए हैं और वे पाकिस्तानी सेना का मुकाबला कर रहे हैं।

तासीर (13 अगस्त) के अनुसार बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के प्रवक्ता ने कहा है कि उनके लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर अपने हमलों का सिलसिला जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम अब तक इस महीने 20 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर चुके हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने बलूच नागरिकों से आग्रह किया है कि वे पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को काले दिवस के रूप में मनाएं और सरकार द्वारा आयोजित सभी समारोहों का बहिष्कार करें। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने जबरन उनके इलाके पर कब्जा कर रखा है।

अमेरिका द्वारा इजरायल को 20 अरब डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी

इंकलाब (15 अगस्त) के अनुसार अमेरिका ने इजरायल को 20 अरब डॉलर के नए हथियार बेचने की घोषणा की है। संवाद समिति 'एएफपी' के अनुसार अमेरिका के मानवाधिकार संगठनों द्वारा काफी समय से राष्ट्रपति जो बाइडेन पर इजरायल को हथियार सप्लाई न करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। अब अमेरिकी प्रशासन ने मानवाधिकार संगठनों की इस मांग को नजरअंदाज कर दिया है। अमेरिकी सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में इजरायल को 18 अरब 32 करोड़ डॉलर मूल्य के 50 एफ-15 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बेचने का निर्णय किया गया है। इसके अतिरिक्त टैंकों से चलने वाले 33 हजार मिसाइल, काफी मात्रा में गोला बारूद और नए सैन्य वाहन भी इजरायल को देने का फैसला किया गया है। विमानों की सप्लाई 2029 में शुरू हो जाएगी। इजरायल वर्तमान युद्ध विमानों को अपग्रेड करेगा और उनमें अत्याधुनिक रडार और अन्य रक्षक उपकरण लगाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यह अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है कि वह इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करे ताकि वह किसी भी हमले का सामना करने में सक्षम हो सके। सरकारी सूत्रों के अनुसार इजरायल पर बढ़ते हुए खतरों को देखते हुए टैंकों से चलने वाले अत्याधुनिक मिसाइल सप्लाई किए जा रहे हैं।

एक अन्य समाचार के अनुसार अमेरिकी सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि अब बर्दाश्त का समय गुजर चुका है और हम एक मुश्किल समय में प्रवेश कर चुके हैं। हालात विस्फोटक हैं और इजरायल में कुछ भी हो सकता है। अमेरिका हर हाल में अपने दोस्त इजरायल का

समर्थन करेगा और उसे सुरक्षा कवच प्रदान करेगा ताकि इजरायल पर संभावित विदेशी हमले को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि अमेरिकी एजेंसियां यह जानती हैं कि ईरान का इरादा क्या है और ईरान से इजरायल की रक्षा करना बेहद जरूरी है। एक अन्य समाचार के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह आशा व्यक्त की है कि ईरान इस्माइल हानियेह की हत्या के बदले के नाम पर इजरायल पर जो हमला करने की कोशिश कर रहा है उससे वह बाज आएगा। अगर ईरान ने इजरायल पर हमला किया तो इजरायल और हमास के बीच

युद्धविराम की जो वार्ता शुरू होने वाली है वह खटाई में पड़ जाएगी।

याह्या सिनवार हमास का नया प्रमुख नियुक्त

इंकलाब (8 अगस्त) के अनुसार हमास प्रमुख इस्माइल हानियेह की तेहरान में मौत के बाद अब याह्या सिनवार को उसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है। सिनवार अब तक गाजा में हमास के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहा था। गौरतलब है कि फरवरी 2017 में इस्माइल हानियेह की जगह याह्या सिनवार को गाजा पट्टी में हमास के राजनीतिक विंग का प्रमुख नियुक्त किया गया था और उसका सहायक खलील अल-हय्या को नियुक्त किया गया था। फिलिस्तीन में इजरायल के खिलाफ संघर्षशील 13 गुटों ने याह्या सिनवार की नियुक्ति का स्वागत किया है और यह संकेत दिया है कि अब हमास के सैन्य और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र गाजा होगा। संघर्षशील गुटों ने कहा है कि याह्या सिनवार की नियुक्ति का फैसला इस बात का संकेत है कि चाहे कितना भी कठिन समय हो हमास इजरायल के खिलाफ आखिरी दम तक सशस्त्र संघर्ष जारी रखेगा।

रोजनामा सहारा (8 अगस्त) के अनुसार याह्या सिनवार 1962 में गाजा के खान यूनिस क्षेत्र में पैदा हुआ था। सिनवार गाजा में इख्वानुल मुस्लिमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) में शामिल हो गया था। 1987 में इस संगठन का नाम बदलकर हमास रख दिया गया। सिनवार ने गाजा की इस्लामी विश्वविद्यालय से अरबी भाषा में स्नातक की डिग्री

ली है। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वह इख्वानुल मुस्लिमीन के छात्र विंग के इस्लामी ब्लॉक का प्रमुख भी रह चुका है। बाद में उसने इख्वानुल मुस्लिमीन की सुरक्षा विंग की नींव रखी, जिसे अल-मुजाहिद नाम से जाना जाता है। इसका लक्ष्य सशस्त्र संघर्ष के जरिए गाजा को इजरायली कब्जे से मुक्त कराना है। अपने जीवन के 27 वर्षों तक सिनवार इजरायल के विभिन्न जेलों में कैद रहा है।

अमेरिकी संवाद समिति 'एपी' के अनुसार सिनवार की हमास प्रमुख के रूप में नियुक्ति इस बात का स्पष्ट संकेत है कि गाजा में भारी क्षति उठाने के बावजूद भी हमास के हौसले बुलंद हैं। हालांकि, हमास को अमेरिका, जर्मनी, इजरायल और कई अन्य यूरोपीय देश आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि सिनवार की नियुक्ति से यह स्पष्ट है कि अब गाजा में युद्धविराम से संबंधित फैसले की जिम्मेवारी हमास के नए अध्यक्ष की होगी। उन्होंने कहा कि यह सच है कि पिछले काफी समय से हमास की सैन्य और राजनीतिक नीतियों का संचालन सिनवार करता आ रहा है। अब अधिकृत रूप से भविष्य की रणनीति तय करने की जिम्मवोरी उस पर होगी।

इजरायल के रक्षा मंत्री ने सिनवार की नियुक्ति पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अब हमास की बागडोर एक खतरनाक आतंकवादी के हाथ में आ गई है। उन्होंने कहा कि हमास का नया प्रमुख भी हमारे निशाने से बच नहीं सकेगा और जल्द ही उसका भी खात्मा कर दिया जाएगा ताकि दुनिया इस इस्लामी आतंकी संगठन से मुक्त हो सके। जब तक इस्लामी आतंकवाद रहेगा दुनिया में शांति नहीं हो सकती। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हम सिनवार को उसी जगह पर पहुंचाकर दम लेंगे जहां पर हमने हानियेह और हमास नेतृत्व के अधिकांश सदस्यों को पहुंचाया है। इजरायल की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों का हर कीमत पर सफाया किया जाए।

रोजनामा सहारा (9 अगस्त) के अनुसार मिस्र की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि हानियेह के उत्तराधिकारी के रूप में दो नामों पर विचार हुआ था। इनमें खालिद मशाल का नाम सबसे ऊपर था, जो इख्वानुल मुस्लिमीन का चहेता माना जाता है। जबकि दूसरा नाम ईरान समर्थक खलील अल-हय्या का था। इस विवाद को देखते हुए इख्वानुल मुस्लिमीन के निर्देशक मंडल ने हमास की कार्यकारी परिषद के प्रमुख अबू उमर हसन पर इस बात के लिए दबाव डाला था कि वे इन दोनों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को यह जिम्मेवारी सौंपें। उन्होंने दावा किया कि सिनवार पर ईरान और इख्वानुल मुस्लिमीन में गंभीर मतभेद हैं। ये मतभेद भविष्य में इस संगठन में विघटन के बीज बो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमास की स्थापना से संबंधित दस्तावेज इस बात के प्रमाण हैं कि हमास फिलिस्तीन में इख्वानुल मुस्लिमीन का विंग है, लेकिन सिनवार के चयन में इख्वानुल मुस्लिमीन के नेतृत्व को नजरअंदाज करके ईरान के नेतृत्व को महत्व दिया गया है। हमास हो या हिजबुल्लाह दोनों ही ईरान सरकार की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। इख्वानुल मुस्लिमीन ईरान के वर्चस्व को पसंद नहीं करता है।

हिंदुस्तान (9 अगस्त) ने अपने संपादकीय में सिनवार की हमास प्रमुख के रूप में नियुक्ति का स्वागत करते हुए कहा है कि जब से सिनवार के नाम की घोषणा हुई है तब से इजरायल की नींद हराम हो गई है। इसका संकेत इस बात से भी मिलता है कि इजरायली गुप्तचर विभाग के एक प्रमुख अधिकारी ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि हमने इस्माइल हानियेह की हत्या करके गलती की है, क्योंकि अब उससे भी खतरनाक

व्यक्ति सिनवार हमास का प्रमुख बन गया है। इससे इजरायल के लिए खतरा बढ़ गया है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि इजरायल हानियेह की हत्या के बाद अपनी जीत का जो जश्न मना रहा था वह अब सिनवार के हमास प्रमुख बनने से धूल में मिल गया है। हमास की एक चाल ने इजरायल के सभी मंसूबों को खाक में मिला दिया है। अब इजरायल और अमेरिका को उस व्यक्ति के साथ एक ही मेज पर बैठना होगा, जिसे वे कल तक आतंकवादी कहा करते थे। दुनियाभर के विश्लेषकों का मत है कि हानियेह एक गंभीर व्यक्ति था। वह हमास का ऐसा चेहरा था, जो कूटनीति से काम लेने में विश्वास करता था और सभी समस्याओं को मेज पर बैठकर सुलझाने के लिए तैयार रहता था। अब इजरायल का वास्ता एक कट्टरपंथी व्यक्ति से पड़ा है, जो पिस्तौल को मेज पर रखकर वार्ता करता है और वह किसी भी तरह की उदारता में विश्वास नहीं रखता है। उसका एकमात्र लक्ष्य हर हथकंडे का इस्तेमाल करके इजरायल को पूर्ण रूप से बर्बाद करना है। वह यहूदियों के प्रति अपनी क्रूरता के लिए विख्यात है। वह इजरायली फौज और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ-साथ सीआईए को भी मात देने की हिम्मत रखता है। वह इतना शातिर है कि अमेरिका और इजरायल की एजेंसियां सभी अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके भी उसके ठिकाने का पता नहीं लगा पाई हैं। उसे मौत के घाट उतारने के लिए एक दर्जन बार उसके ठिकाने पर हमला किया जा चुका है, लेकिन वह हर बार बच जाता है। सच्चाई यह है कि चाहे वह अरब की इख्वानुल मुस्लिमीन हो या बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी, दुनिया की कोई भी ताकत ऐसे संगठनों का बाल भी बांका नहीं कर सकती।

सोमालिया में इस्लामी आतंकवादियों का हमला

रोजनामा सहारा (4 अगस्त) के अनुसार सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के समुद्र तट पर इस्लामी आतंकवादियों के हमले में कम-से-कम 32 लोग मारे गए हैं और 63 घायल हुए हैं। अलकायदा से संबंधित आतंकवादी गुट अल-शबाब ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है। सोमालिया की सरकार ने भी इस हमले की पुष्टि की है। संवाद समिति 'एएफपी' के अनुसार अल-शबाब से संबंधित सशस्त्र आतंकवादी नावों में सवार होकर सोमालिया की राजधानी के समुद्र तट पर पहुंचे और लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गौरतलब है कि अल-शबाब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सोमालिया की सरकार के खिलाफ पिछले 17 सालों से विद्रोह कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में राजधानी मोगादिशु में जगह-जगह पर शव बिखरे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और चारों तरफ खून फैला हुआ है।

जानकार सूत्रों का दावा है कि मरने वालों की संख्या सरकारी बयान से काफी अधिक है।

पुलिस प्रवक्ता अब्दिफतह अदन हसन ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मरने वालों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि अस्पताल में जो घायल भर्ती किए गए हैं उनमें से अधिकांश की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि अल-शबाब के हमलावरों ने जैसे ही लोगों पर फायरिंग शुरू की तो इसका जवाब सरकारी सैनिकों ने भी दिया। इस जवाबी कार्रवाई में कम-से-कम पांच आतंकवादी मारे गए। एक आतंकवादी ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसमें छह पुलिसकर्मी मारे गए। सोमालिया ने अफ्रीकी देशों से मांग की है कि वे इस्लामी आतंकवाद के खात्मे के लिए उसका सहयोग करें।

ईरान में रूसी सैनिकों का प्रशिक्षण

रोजनामा सहारा (11 अगस्त) के अनुसार ब्रिटिश संवाद समिति 'रॉयटर्स' ने यह दावा किया है कि दर्जनों रूसी सैनिक ईरान के सैन्य शिविरों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्हें ईरान द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम 'फतह-360' के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समाचार के अनुसार ईरान जल्द ही रूस को भारी संख्या में सैटेलाइट-गाइडेड हथियार सप्लाई करेगा, जिनका इस्तेमाल रूस द्वारा यूक्रेन के युद्ध में किए जाने की संभावना है। रूसी सूत्रों ने यह पुष्टि की है कि कुछ महीने पहले तेहरान में ईरान सरकार के प्रतिनिधियों के साथ रूस का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की सप्लाई के बारे में एक समझौता हुआ है। बताया जाता है कि ईरान रूस को फतह-360 नामक मिसाइल सप्लाई कर रहा है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 120 किलोमीटर है। एक सैन्य विशेषज्ञ ने बताया कि हालांकि, रूस के पास पहले से ही बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, लेकिन ईरान द्वारा सप्लाई किए जाने वाले मिसाइलों के कारण उसकी मारक क्षमता बढ़ गई है।

हिंदुस्तान (1 अगस्त) के अनुसार ईरान के पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) ने यह दावा किया है कि ईरानी नौसेना के पास ऐसे क्रूज मिसाइल हैं, जिनको रडार पर पकड़ना असंभव है। आईआरजीसी के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि आज की दुनिया में आपको अपनी रक्षा के लिए ताकतवर और आक्रामक होना होगा, वरना आपका नामोनिशान मिट जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरानी नौसेना को अत्याधुनिक जासूसी उपकरणों और रडार से लैस किया जा रहा है।

ईरान के शीर्ष नेतृत्व में मतभेद

उर्दू टाइम्स (13 अगस्त) के अनुसार विदेश नीति को निर्धारित करने के प्रश्न पर ईरान के शीर्ष नेतृत्व में गंभीर मतभेद पैदा हो गए हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया था। अपनी नियुक्ति के 11 दिनों के बाद ही जवाद जरीफ ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है।

इंकलाब (12 अगस्त) के अनुसार ईरानी राष्ट्रपति ने मोहम्मद इस्लामी को उपराष्ट्रपति और परमाणु विकास विभाग का प्रमुख नियुक्त किया है। 67 वर्षीय इस्लामी को पहले उनके पद से हटा दिया गया था। अब फिर से उन्हें अचानक परमाणु ऊर्जा विकास विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने उनकी नियुक्ति ऐसे समय में की है जब पश्चिम ने ईरान के परमाणु विकास के सिलसिले में उस पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हालांकि, राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अपने चुनावी अभियान के दौरान यह घोषणा की थी कि वे विदेशों के साथ हुए परमाणु समझौते को बहाल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के दबाव में अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ रहा है। खामेनेई ने यह घोषणा की थी कि ईरान पुराने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की नीतियों का अनुसरण करता रहेगा और उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रईसी को कट्टरपंथी माना जाता था और उन पर ईरान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हजारों लोगों को फांसी पर लटकाने का आरोप था। 2021 में ईरान में हुए चुनावों में उन्होंने उदारवादी राष्ट्रपति हसन रूहानी को पराजित किया था। रूहानी को उदारवादी नीति का समर्थक माना जाता था। 2024 के चुनाव में ईरान की सर्वोच्च काउंसिल ने रूहानी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

गौरतलब है कि रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हुआ था उसमें किसी भी उम्मीदवार को 50 प्रतिशत मत प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए दोबारा चुनाव कराना पड़ा। इस चुनाव में कुल छह उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के पसंदीदा उम्मीदवार कट्टरपंथी सईद जलीली थे, लेकिन उन्हें मसूद पेजेश्कियान ने हरा दिया। पेजेश्कियान और जलीली के अतिरिक्त कई अन्य उम्मीदवार भी मैदान में थे, जिनमें से मोहम्मद बाघेर गालिबफ, अमीर-हुसैन गाजीजादेह हाशमी, अली रजा जकानी और मुस्तफा पूरमोहम्मदी का नाम उल्लेखनीय है। सात महिलाओं ने भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी। इनके अतिरिक्त कुल 80 उम्मीदवारों ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन ईरान की सर्वोच्च गार्डियन काउंसिल ने सिर्फ छह उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतरने की अनुमति दी।

RNI No. DELHIN/2017/72722

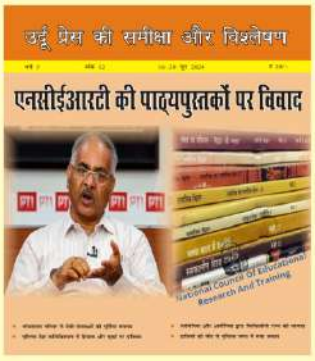

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in